भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 161

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>समर्पित हरित ऊर्जा क्षेत्र</u>

161. श्री पुष्पेन्द्र सरोजः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, भंडारण और हरित विनिर्माण के लिए समर्पित हरित ऊर्जा क्षेत्रों को अधिसूचित करने के संबंध में कोई सैद्धांतिक या औपचारिक निर्णय लिया है कि और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों की पहचान के लिए भूमि की उपलब्धता, ग्रिड कनेक्टिविटी, औद्योगिक संपर्क और रोजगार संभाव्यता सहित अंतिम रूप दिए गए वस्तुनिष्ठ मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी आकलन या अंतर-मंत्रालयी अध्ययन में प्रस्तावित हरित ऊर्जा क्षेत्रों से अपेक्षित जिला-वार रोजगार, कौशल संबंधी आवश्यकताओं और स्थानीय मूल्यवर्धन की मात्रा निर्धारित की गई है;

(घ) ऐसे क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से राज्य, यदि कोई हैं, चिन्हित किए गए हैं अथवा विचाराधीन है: और

(ङ) राज्य सरकारों अथवा निजी विकासकर्ताओं के लिए क्षेत्र-स्तरीय अवसंरचना, विनिर्माण इकाइयों और कौशल विकास हेतु कौन-सी राजकोषीय नीति अथवा व्यवहार्यता अंतराल संबंधी सहायता प्रस्तावित है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

'समर्पित हरित ऊर्जा क्षेत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 161 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): वर्तमान में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, भंडारण और हरित विनिर्माण के लिए समर्पित हरित ऊर्जा क्षेत्रों को अधिसूचित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण में सहायता के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। ऐसी प्रमुख पहलों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

समर्पित हरित ऊर्जा क्षेत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 161 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकार द्वारा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण में सहायता के लिए की गई प्रमुख पहलें निम्निलिखित हैं:

(i) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई डेवलपरों को भूमि तथा ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए सौर पार्कों तथा अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(iii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को सुगम बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में है। अब तक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 राज्यों में 500 गीगावॉट लक्ष्य से अधिक 333.6 गीगावॉट के नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षेत्र घोषित किए हैं।

(iv) सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को प्राप्त करने के लिए, 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए हैं।

(v) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम संघटक ख एवं ग तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों की खरीद करना आवश्यक कर दिया गया है।

(vi) सरकार ने सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर इंवर्टरों तथा सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(vii) सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माता के लिए दिनांक 24 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की सूची 18 में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।

(viii) सहायक सेवाओं के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित।

(ix) देश में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।

(x) पंप्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(xi) दिनांक 30 जून, 2028 को या उससे पहले निर्माण कार्य आवंटित पीएसपी के लिए और साथ ही दिनांक 30 जून, 2028 को या उससे पहले शुरू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओ के लिए, कुछ शर्तों के साथ, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में 100% छूट दी गई,

(xii) मार्च 2024 में, 27 लाख रु. प्रति मेगावाट घंटे के वीजीएफ पर 13,220 मेगावाट घंटे के विकास के लिए 3,760 करोड़ रु. के परिव्यय से बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के विकास के लिए एक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को स्वीकृति दी।

(xiii) जून 2025 में, 30 गीगावाट घंटे के लिए एक और वीजीएफ योजना को स्वीकृति दी, जिसे पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से, 18 लाख रु. प्रति मेगावाट घंटे के वीजीएफ पर, 5,400 करोड़ रु. के माध्यम से वित्त पोषित किया गया।

(xiv) "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" के तहत ग्रिड स्तर स्थिर भंडारण अनुप्रयोगों के लिए 10 गीगावॉट घंटे क्षमता निर्धारित की गई है।

(xv) 'ग्रिड स्थिरता और लागत दक्षता बढ़ाने के लिए सौर विद्युत परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का सह-स्थापित करने के लिएर एडवाइजरी' जारी की।

(xvi) सरकार सूर्य मित्र, वरुण मित्र और वायु मित्र जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल विकास पहलों का कार्यान्वयन कर रही है।

****